न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता, RAS.

प्रकरण संख्या :– 10 / 2024 GCMS No. 2024/57

परिवादी :–

1. श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर (राज.)

बनाम

अभियुक्त :–

1. श्री मनोज पुत्र पुरूषोतम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स– श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर
   निवासी– वार्ड 07, गॉधी चौक, परबतसर– 341512
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद दंगयाच पुत्र बजनाथ दंगयाच खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक
   मैसर्स– सावन इन्टरप्राईसेस जी–15, शुभम अपार्टमेन्ट, विद्यायाधर नगर, जयपुर
   निवासी– 1/483 विद्ययाधर नगर जयपुर 302023
3. श्री सुमित कुमार चौहान पुत्र सुरेश चौहान (नोमिनी निर्माता फर्म
   मैसर्स– आनन्दा डेयरी लिमिटेड, 41–42 पांडव नगर, नरीमा बस डिपो के सामने, नई दिल्ली
   निवासी– कचनपुर, नराव, बलिया उतर प्रदेश 221701
4. मैसर्स– आनन्दा डेयरी लिमिटेड, 41–42 पांडव नगर, नरीमा बस डिपो के सामने, नई दिल्ली

" परिवाद अन्तर्गत धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 '

उपस्थिति :–

–:निर्णय :–

दिनांक :– 18/12/2025

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री बाबुलाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 08.07.2023 को समय 10.31 A.M. पर फर्म मैसर्स – श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर पर पहुंचा। वहां पर श्री मनोज पुत्र पुरूषोतम मिले। श्री मनोज को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा पूछने पर श्री मनोज ने स्वयं को फर्म मैसर्स – श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर का खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक होना बताया। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियॉ प्रस्तुत की। निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध घी (Ananda Supreem) 1–1 लीटर के 15 गत्ता पैंक एक लकडी की रैक मे रखे है, के अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर 1–1 लीटर के 4 गत्ता पैंक को खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री मनोज को सूचित करते हुये वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत श्री मनोज को 2040/– रुपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर हैं, [illegible] उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियॉ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिस पर श्री मनोज एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested

...क्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर अपने हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म सं. **5 ए** की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री मनोज को उपलब्ध कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (Ananda Supreem) 1–1 लीटर के गतो के पैक डिब्बो को खाकी कागज मे रखकर उन पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ.नागौर के कोड एवं क्रमांक Q-2422 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ.नागौर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. Q-2422 नियमानुसार चारों नमूना भागो पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें। चारों नमूना भागो के रेपर पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया। मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मनोज एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी अपने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. **6** की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील कर मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 के अग्र भाग पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को अगले कार्य दिवस में जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के क्रमांक 620 दिनॉक 18.08.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. **L.S./995/Act/2023/1049** दिनांक **21.07.2023** के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (Ananda Supreem) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त प्रकरण में श्री मनोज व अन्य ने खाद्य पदार्थ गाय का घी (Ananda Supreem) सबस्टेण्डर्ड का विक्रय करके F.S.S.A. 2006 की धारा **3(1)(zx)substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee). the sample also contravens Regulation No.2.3.7(2) of food safety and standards (Prohitbition and Restrictions on sales) Regulation 2011 due to presence of fore**[...] धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है के अन्तर्गत किये गये अपराध के [...] अधिकारी के न्यायालय में अभियोजन संस्थित करने की करने की स्वीकृति दी [...] है। जिसके लिये जुर्माने का प्रावधान धारा 51 के अन्तर्गत निहित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कुचामन सिटी

उक्त आवेदन पत्र के साथ खाद्य खरीद रसीद मूल, फार्म नं. 5 ए मूल, फर्द रिपोर्ट मूल, खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना प्राप्ति रसीद, खाद्य विश्लेषक अजमेर की फार्म नं. 6 की पुश्त पर मुख्य खाद्य विश्लेषक की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी की नमूना प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा प्राप्त विश्लेषक सूचना पत्र मूल, खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा–पत्र एवं आधार कार्ड की छाया प्रति, अभियोजन संस्थित किये जाने के पत्र की प्रति प्रस्तुत की है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रकरण दिनॉक 29.08.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त श्री मनोज खाद्यकारोबारकर्ता व अन्य को नोटिस जारी किया गया। अभियुक्त के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अभियुक्त मनोज एवं अन्य के जबाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर Food Analyst Public Health Laboratory Ajmer Rajasthan के **FORM- VII A** रिपोर्ट नं.L.S./995/Act/2023/1049 दिनांक 21.07.2023 का अवलोकन किया गया, जिसमें फूड एनालिस्ट अजमेर का मत निम्न प्रकार अंकित किया हैः–

Opinion- The sample of **GHEE** bearing Code No. and Sr. No. **Q-2422** of Designated O'ficer cum Chief Medical & Health Officer, nagaur is **substandard as is not derived exclusively from milk or products obtained from milk as it contain foreign fat (the fatty acid profile of sample does not match with the fatty acid profile of ghee) the sample also contravenes Regulation No 2.3.7(2) of food safety and standards (prohiition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 due to presence of foreign fat.**

अतः खाद्यकारोबारकर्ता मनोज पुत्र पुरूषोतम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स– श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ घी (Ananda Supreem) नमूना नं. **Q-2422** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पदनामित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कोड **Q-2422** वाले घी (Ananda Supreem) के नमूने में जो खाद्य नमूना खाद्य सुरक्षा मानक (बिक्री पर प्रतिषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 के वनियम संख्या 2.3.7.(2) का उल्लंघन करता है। F.S.S.A. 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

क्योंकि यह खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य योजक) विनियम, 2011 के निर्धारित मानको एवं प्रावधानो के अनुरूप नही है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(अ) इस प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:19:24 IST
Reason: SelfAttested

धारा 26:– खाद्य कारोबार कर्ता के [illegible]

(1) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी [illegible] वस्तु का — (v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंधन में, स्वयं

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–51 व 58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंधन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो धारा 51 पांच लाख एवं धारा 58 दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

जो उक्त अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार घी (Ananda Supreem) में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु श्री मनोज पुत्र पुरूषोतम खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स– श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर व अन्य दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 51 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत अभियुक्त श्री मनोज खाद्यकारोबारकर्ता मैसर्स– श्री मोदी एग्रो इन्टरप्राईसेस, किशनगढ रोड परबतसर, श्री राजेन्द्र प्रसाद दंगयाच पुत्र बजनाथ दंगयाच खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स– सावन इन्टरप्राईसेस जी–15, शुभम अपार्टमेन्ट, विद्ययाधर नगर, जयपुर, श्री सुमित कुमार चौहान पुत्र सुरेश चौहान (नोमिनी निर्माता फर्म) मैसर्स– आनन्दा डेयरी लिमिटेड, 41–42 पांडव नगर, नरीमा बस डिपो के सामने, नई दिल्ली राशि रुपये प्रत्येक पर 11000/–(अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश आज दिनांक 18/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2025.12.31 12:10:24 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार गुप्ता)
अभिहित अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी